संख्या–222/XLI–1/18–08/14

प्रेषक,

अशोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

तकनीकी शिक्षा विभाग | देहरादून: दिनांक: 12 फरवरी, 2018

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के प्राविधिक शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर वर्तमान में कार्यरत प्रवक्ताओं की आगामी शैक्षिक सत्र हेतु संविदा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं मे संविदा के आधार पर वर्तमान में कार्यरत प्रवक्ताओं की संविदा अवधि आगामी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने पर सम्बन्धित प्रवक्ताओं की संतोषजनक सेवा के आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ विस्तारित की जाय कि लोक सेवा आयोग से नियमित चयन से आने वाले शिक्षकों की सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय के पद पर नियुक्ति होने के उपरान्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त पदों पर कार्यरत ऐसे संविदा शिक्षकों की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह संविदा अवधि प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए पृथक–पृथक नियमानुसार निष्पादित की जायेगी।

2– शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षण कार्य न होने के कारण इस निमित्त कोई भुगतान नही किया जायेगा। उक्त अवधि को सेवाओं मे व्यवधान (Service Break) माना जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– /XLI–1/18–08/14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर, पौड़ी।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल

पृ0सं0 449 /नि0प्रा0शि0/संविदा/2018–19 | दिनांक 05 जून, 2018

प्रतिलिपि, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/ग्रामीण/महिला पालीटेक्निक उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।

RKG Letter&Noting/Letter